

15

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संख्या-3/एल-06-01-04/2024-

/रवा0, पटना, दिनांक

डा0 रविन्द्र मोहन (वरीयता क्रमांक-8743/2008), चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात डा0 रविन्द्र मोहन के विरुद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का विषय सज्जान में आता है या वे दोषी पाये जाते हैं तो डा0 रविन्द्र मोहन की सेवा निवृत्ति लाभों से उसकी भरपाई की जा सकेगी।

2 डा0 रविन्द्र मोहन भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/सविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

3 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक

444(3)

/रवा0, पटना, दिनांक

30/7/25

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एव0 ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि डा0 रविन्द्र मोहन का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि: अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सहरसा/अरौन्धिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सहरसा/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. अरौन्धिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत्त, डा0 रविन्द्र मोहन का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों में पेशन प्रपत्र, वांछित कागजात सहित शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: डा0 रविन्द्र मोहन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा-2, 8, 9 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02 निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों के ई-मेल आई0डी0 पर अधिसूचना की प्रति आज ही भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिरट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W. N. K. 30/7/25
सरकार के अवर सचिव